रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-25052021-227181 CG-DL-E-25052021-227181

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1885] No. 1885] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 25, 2021/ज्येष्ठ 4, 1943 NEW DELHI, TUESDAY, MAY 25, 2021/JYAISHTHA 4, 1943

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, 25 मई, 2021

का.आ. 2025(अ).—केन्द्रीय सरकार ने इथेनोल का उत्पादन बढ़ाने और विशेष रूप से अधिशेष वाले मौसम में पेट्रोल के साथ इथेनोल ब्लेंडिंग (ईबीपी) कार्यक्रम के अधीन इसकी आपूर्ति बढ़ाने और चीनी मिलों के साथ जुड़ी डिस्टिलिरियों को दी जाने वाली सहायता के समान ही शीरा आधारित स्टैंडएलोन डिस्टलिरियों को वित्तीय सहायता देने के लिए दिनांक 08.03.2019 की अधिसूचना सं. का.आ. 1228 (अ) के जिरए "इथेनोल उत्पादन क्षमता में वृद्धि तथा विस्तार हेतु शीरा आधारित स्टैंडएलोन डिस्टिलिरियों को वित्तीय सहायता देने के लिए स्कीम" नामक एक स्कीम अधिसूचित की थी।

2. अब दिनांक 08.03.2019 की उक्त अधिसूचना के पैरा 10 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार ने निर्णय लिया है कि उक्त अधिसूचना का पैरा 6 (ii) निम्नानुसार पढ़ा जाए:-

"खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सैद्धांतिक अनुमोदन की तारीख से आवेदक को **एक वर्ष और छह माह** के भीतर बैंक से ऋण संवितरित हो जाना चाहिए, ऐसा न होने पर परियोजना के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन रद्द हो जाएगा। इसके अलावा, बैंक से ऋण की पहली किश्त के संवितरण की तारीख से दो वर्ष के अंदर परियोजना पूर्ण हो जानी चाहिए।"

[फा. सं. 1(16)/2018-एसपी-I]

सुबोध कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

2817 GI/2021 (1)

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th May, 2021

- **S.O. 2025(E).**—The Central Government with a view to increase production of ethanol and its supply under Ethanol Blended with Petrol (EBP) Programme, especially in the surplus season and to extend financial assistance to molasses based standalone distilleries on lines similar to that extended to distilleries attached with sugar mills, notified the scheme namely "Scheme for extending financial assistance to molasses based standalone distilleries for enhancement and augmentation of ethanol production capacity" vide notification No. S.O. 1228 (E) dated 08.03.2019.
- 2. Now in pursuance of para 10 of the said notification dated 08.03.2019, Central Government has decided that Para 6 (ii) of the notification may be read as under:-
- "The applicant should get the loan disbursed from the bank within **one and half years** from the date of in principle approval of DFPD, failing which the in principle approval for the project will stand cancelled. Further, the project should be completed within two years from the date of disbursement of first installment of loan from bank."

[F. No. 1(16)/2018-SP-I]

SUBODH KUMAR SINGH, Jt. Secy.